# बिहार सरकार
## योजना एवं विकास विभाग

**–:::आदेश :::–**

का०आ० योस्था07 / 01–01 / 2025(पार्ट)-4791. / यो0वि0, पटना, दिनांक 18. अगस्त, 2025

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस०एल०पी० (सी०) संख्या–7257/2023 शशि भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक–04.10.2024 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–03 / परी0–BTSC–(अधि0) 01–23 / 2024–16 दिनांक–01.01.2025 द्वारा विज्ञापन सं0 01 / 2019 के अन्तर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा एवं दिनांक 05.08.2025 को प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु उपस्थिति के आलोक में सुश्री / श्रीमती डिलेश्वरी कुतराहे को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर–07 एवं समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है :–

| क्र0 सं0 | विभागीय क्र0 सं0 | अभ्यर्थी का नाम | पिता का नाम / स्थायी पता | पंजीयन सं0 | समेकित मेघा क्रमांक | जन्म तिथि | अनुशंसित कोटि / आवेदन की कोटि | नियुक्त अभ्यर्थी का फोटोग्राफ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 842 | सुश्री / श्रीमती डिलेश्वरी कुतराहे | श्री रामस्वरूप / ग्राम–कोल्हवा पो0–भर्वेली (बोदा) थाना–भर्वेली जिला–बालाघाट पिन–481102, मध्य प्रदेश | BR00150010101757 | 3187 | 24.10.1997 | UR/UR | |

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित शपथ–पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही हैं। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थी के समर्पित शपथ–पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त्त पर की जा रही है, कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों / अभिलेखो के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

4. यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जा रही है। यदि भविष्य में अभ्यर्थी (नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य / जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि / पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओं नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

5 अभ्यर्थी यदि पहले से सरकारी / अर्द्ध सरकारी संस्थानों / निकायों में कार्यरत है, उन्हे योगदान के समय नियोक्ता संस्थान के समक्ष प्राधिकार से निर्गत विरमण–पत्र स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में निम्न शर्त्ते अधिरोपित होंगे :–

(i) बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित कनीय अभियंता नियमित सरकारी सेवक नहीं हैं। अतः आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु उनकी अनुशंसा के क्रम में संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित नियुक्ति के उपरांत ऐसे संविदा नियोजित कनीय अभियंता संविदा नियोजन से त्याग पत्र समर्पित करने के अगले दिन ही नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान करेंगे।

(ii) बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित वैसे कनीय अमियंताओं जिनका आयोग द्वारा चयन के क्रम में संविदा अवधि में किये गये कार्यानुभव के लिए अंक की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ प्रदत्त की गयी होगी, को उनके पदस्थापित प्रमंडल में योगदान के समय उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच कर संतुष्ट होना सुनिश्चित करेंगे। कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओं नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

(iii) जिन संविदा नियोजित कर्मियों के विरूद्ध सम्प्रति अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, उनके मामले में प्रशासी विभाग द्वारा प्रत्येक मामले को गुणा–गुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(iv) संविदा अवधि में की गयी सेवा का किसी प्रकार का कोई लाभ नियमित नियुक्ति के उपरान्त अनुमान्य नहीं होगा।

7. बिहार पेंशन (संसोधन) नियमावली 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 दिनांक– 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8. अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) के वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापन के उपरान्त नव पदस्थापन कार्यालय में योगदान की तिथि से देय होगा।

10. नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) के वेतनादि का भुगतान संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापनोपरांत किया जायेगा।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विज्ञापन सं0 01/2019 (कनीय अभियंता) के विरूद्ध दायर विभिन्न वादों में पारित होने वाले अंतिम न्याय निर्णय के फलाफल से यह नियुक्ति प्रभावित होगी।

12. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा पार्थक्यता पाये जाने पर इसे तदनुसार संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा।

**(रणजीत कुमार)**
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो0स्था07/01–01/2025(पार्ट)-4791./यो0वि0, पटना, दिनांक 18. अगस्त, 2025

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/अधीक्षक/राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–07 को भेजने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो0स्था07 / 01–01 / 2025(पार्ट)- 4791 / यो0वि0, पटना, दिनांक 18 अगस्त, 2025

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0), विभाग, बिहार, पटना / सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो0स्था07 / 01–01 / 2025(पार्ट)- 4791 / यो0वि0, पटना, दिनांक 18 अगस्त, 2025

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना / सभी अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार / सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार / सभी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो0स्था07 / 01–01 / 2025(पार्ट)- 4791 / यो0वि0, पटना, दिनांक 18 अगस्त, 2025

प्रतिलिपिः सभी संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो0स्था07 / 01–01 / 2025(पार्ट)- 4791 / यो0वि0, पटना, दिनांक 18 अगस्त, 2025

प्रतिलिपिः विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित

सरकार के अपर सचिव